न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

केम्प मोटा का खेड़ा

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–53/2018 प्रार्थना पत्र

1. हीरा पुत्र श्री बंशी लाल लुहार निवासी टोकरा तह. करेड़ा
2. धर्मा पुत्र श्री बंशी लाल लुहार निवासी टोकरा तह. करेड़ा
3. पारस पुत्र श्री बंशी लाल लुहार निवासी टोकरा तह. करेड़ा
4. श्रवण पुत्र श्री बंशी लाल लुहार निवासी टोकरा तह. करेड़ा
5. रामा पुत्र श्री बंशी लाल लुहार निवासी टोकरा तह. करेड़ा

---प्रार्थीगण

वनाम

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेड़ा तह0 करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

---विपक्षी

प्रार्थना पत्र बावत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1– श्री मुरलीधर जोशी – अधिवक्ता–प्रार्थीगण

2– पेरोकार सरकार – विपक्षी

:: निर्णय :: दिनांकः– 19.06.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0का0अधिनियम विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र वाद जांच रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को उजरदारी पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया। सम्मन वाद तामील शामिल मिसल है।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मोटा का खेड़ा पर पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगणों को अपनी खातेदारी आराजी में पहुँचने हेतु ग्राम टोकरा की बिलानाम आराजी नं. 699 रकबा 2.14 बीघा चाहा गया रास्ता अधिक लम्बाई का है जबकि ग्राम टोकरा के बिलानाम आ.नं. 698 किस्म रास्ता में जाकर आ0नं0 574 भीम–करेड़ा सड़क पर पहुँच कर ज्ञानगढ़ की सीमा में से खातेदारी भमि से रास्ता कीमतन लिया जाना उचित रहेगा। भीम करेड़ा सड़क से खातेदारी भूमि तक पहुँच दुरी भी कम रहेगी। पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार करेड़ा के मौका रिपोर्ट पर चिंतन एव मनन किया प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से अन्य वैकल्पिक मार्ग छोटा होने से प्रार्थी का प्रार्थनपत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव

आदेश

तहसीलदार करेड़ा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक मार्ग छोटा व उचित होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को विवृत कैम्प स्थल पर सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner